

प्रेषक,

अमिताभ प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

१. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
२. उपाध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
३. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—३

विषय : प्रदेश में विनियमितीकरण सम्बन्धी कार्यवाहियों के अन्तर्गत निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र सम्बन्धी आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण एवं निरीक्षणकर्ता की आख्या को सर्व—सामान्य के अवलोकनार्थ वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार के चार्टर Business Reform Action Plan 2017 के अन्तर्गत यह आपेक्षित है कि निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र सम्बन्धी आवेदनों के निस्तारण हेतु किये जाने वाले निरीक्षणों की रिपोर्ट, निरीक्षण किये जाने के ४८ घण्टे के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाये तथा उक्त रिपोर्ट को जन—सामान्य की जानकारी हेतु वेबसाइट पर अपलोड किया जाये।

२— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि प्रदेश में विनियमितीकरण सम्बन्धी कार्यवाहियों के अन्तर्गत जिन निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवेदनों के स्थल का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है, निरीक्षणकर्ता द्वारा सम्बन्धित निरीक्षण आख्या ४८ घण्टे के अन्दर विभाग में उपलब्ध करा दी जाये तथा निरीक्षण आख्या जन—सामान्य की जानकारी हेतु वेबसाइट पर 'अपलोड' भी कर दी जाये।

३— मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित विभाग के अन्तर्गत विनियमितीकरण कार्य हेतु प्राप्त निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र सम्बन्धी विगत दो वर्ष में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु किये गये निरीक्षण की आख्या वेबसाइट पर जन—सामान्य की जानकारी हेतु तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमिताभ प्रकाश)
विशेष सचिव

संख्या

(१) / ८-३-१७-३६ विविध / १६ टी०सी०—तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

१. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संबंधित को तामील कराते हुए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
२. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
३. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमिताभ प्रकाश)
विशेष सचिव

प्रेषक,

संख्या 1090 / 8-3-17-36 विविध / 16 Tc

राजेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

१. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
२. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
३. अध्यक्ष,
समस्त विशेष कोश विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—३

लखनऊ दिनांक २६ रितम्बर, 2017

विषय : प्रदेश में निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने वाले प्रकरणों का
वर्गीकरण कर, अनिवार्य निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार के घटाट Business Reform Action Plan 2017 के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि प्रदेश में विनियमितीकरण की कार्यवाहियों के अन्तर्गत निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र प्रदान किये जाने वाली कार्यवाही में प्रकरणों को हाई-रिस्क के अन्तर्गत वर्गीकृत कर, प्रकरणों में अनिवार्य रूप से स्थल निरीक्षण किये जायें। इस सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में गठित समिति द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के संबंध में प्राधिकरण / उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित कालोनियों के मूख्यण्डों के प्रकरण तथा ऐसे प्रकरण जिनके आवासीय भूखण्ड निजी क्षेत्र के स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुरूप हो, को हाई-रिस्क की श्रेणी में नहीं समझा जायेगा। साथ ही महायोजनाओं में विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित 100 वर्ग मी० तक के आवासीय निर्माण को भी हाईरिस्क की श्रेणी से बाहर रखा जाय। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकरण हाई-रिस्क की श्रेणी में माने जायेंगे।

२— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रकार से वर्गीकृत प्रकरण जिन्हें हाई-रिस्क की श्रेणी में नहीं रखा गया है, के सम्बन्ध में निर्माण अनुज्ञा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्राप्त आवेदनों के निस्सारण हेतु स्थल निरीक्षण की अनिवार्यता नहीं होगी। उक्त के अतिरिक्त हाई-रिस्क प्रकरणों में स्थल निरीक्षण की अनिवार्यता आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट की जा सकती है। उक्त व्यवस्था को ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया के साथ सर्व सामान्य की जानकारी हेतु वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या—1090(1)/8-3-17-36 विविध / 16—तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०।
२. निदेशक, आवास बन्ध उ०प्र०।
३. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संज्ञम कुमार सिंह)
अनु सचिव